NGT ने ठोस अपशिष्ट फेंकने पर जुर्माना लगाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने उत्तर प्रदेश के **अनाधिकृत क्षेत्रों में** अपशिष्ट फैलाने या ठोस अपशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके उल्लंघन पर 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- न्यायालय के अनुसार, उल्लंघनकर्त्ता को **पहली बार में 5,000 रुपए का पर्यावरण मुआवज़ा देना होगा,** तथा आगे भी अपशिष्ट फेंकने अथवा **ठोस अपशिष्ट डालने की घटनाओं पर 10,000 रुपए का मुआवज़ा** देना होगा।
- यदि कोई **थोक अपशिष्ट उत्पादक,** रियायतग्राही, शहरी स्थानीय निकाय या कोई अन्य व्यक्ति भारी मात्रा में अपशिष्ट फैलाते या डंप करते हुए पकड़ा जाता है, तो **पहली बार अपराध करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना** लगाया जाएगा तथा उसके बाद के **किसी भी अपराध के लिये 50,000 रुपए का जुर्माना** लगाया जाएगा।
- NGT ने यह आदेश **राप्ती नदी** के तटबंध पर अपशिष्ट डाले जाने से जल प्रदूषण होने संबंधी याचिका पर पारित किया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT)

- यह **पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों** के प्रभावी व शीघ्र निपटान के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 **के तहत स्थापित एक विशेष निकाय** है।
- ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूज़ीलैंड के बाद, **भारत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के गठन के साथ एक समर्पित पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश** और पहला विकासशील देश बन गया।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को आवेदनों अथवा अपीलों का अंतिम रूप से निपटान दायर होने के 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य है।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पाँच बैठक स्थान हैं, **नई दिल्ली इसकी मुख्य बैठक स्थान है** तथा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अन्य चार हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ngt-imposes-fine-for-dumping-solid-waste